न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
47/2020	धारा 212 RTA	16.09.2020	19.03.2024

इन्द्रसिंह पुत्र स्व. मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू
—प्रार्थी—

बनाम

1. शिशपालसिंह दतक पुत्र गंगासिंह जाति राजपुत निवासी पनलावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. मदनसिंह पुत्र श्री मोहबसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड संख्या 11, ग्राम लादड़िया, तहसील व जिला चूरू मोबाईल संख्या 8432033533

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

उपस्थितिः—1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री अभिषेक टावरी
2 अधिवक्ता अप्रार्थी श्री कानसिंह, प्रदीपसिंह आदि

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा व ख. नं. 96 रकबा 11बीघा 11 बिस्वा वाके रोही लादड़िया तहसील व जिला चूरू में स्थित उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने हेतु प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद संख्या 15/2016 अनवानी इन्द्रसिंह बनाम शिशपालसिंह आदि श्रीमानजी के न्यायालय में पेश कर रखा है।

मौजूद समय में अप्रार्थी शीशपालसिंह की खातेदारी में अंकित है। स्व. मौहब्बतसिंह के कुल तीन पुत्र शीशपालसिंह, इन्द्रसिंह व मदनसिंह पैदा हुए जिनमें शिशपालसिंह सबसे बड़ा पुत्र था स्व. मोहब्बतसिंह ने लादड़िया की रोही में 13 बीघा 01 बिस्वा अपने बड़े पुत्र शीशपालसिंह के नाम से क्रय की थी उस समय स्व. मोहब्बतसिंह का परिवार संयुक्त परिवार था तथा वादगत कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति से क्रय की थी वादगत कृषि भूमि का नामान्तरण करण प्रतिवादी अप्रार्थी शीशपालसिंह के नाम सन् 1960 में तस्दीक किया गया था मगर प्रतिवादी अप्रार्थी शीशपालसिंह के नाम स्व. मोहब्बत सिंह द्वारा क्रय किये जाने के कुछ समय पश्चात् ही शीशपालसिंह अपने सगे मामा गंगसिंह के गोद चला गया स्व. गंगसिंह की मृत्यु के बाद खातेदारी कृषि भूमियों का नामान्तरण संख्या 220 दिनांक 30.07.1970 को अप्रार्थी शिशपालसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया जो तथ्य इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि स्व. मोहब्बतसिंह द्वारा वादगत कृषि भूमि क्रय करने के बाद शीशपालसिंह अपने मामा गंगसिंह के यहां गोद चला गया था तथा शीशपालसिंह ने वादगत कृषि भूमियों को कभी काश्त नहीं किया।

वादगत कृषि भूमियां प्रार्थी इन्द्रसिह व उसके छोटे भाई मदनसिंह द्वारा अपने पिता मोहब्बतसिंह के सामिल शरीक रह कर [illegible] जाती रही। स्व. मोहब्बतसिंह ने अपने जीवनकाल में ही दोनों भाईयों इन्द्रसिंह व मदनसिंह को [illegible] कृषि भूमि का 1/2—1/2 भाग संभला दिया था वादगत कृषि [illegible] 1/2 हिस्सा इन्द्रसिंह प्रार्थी काश्त करता है तथा पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा मदनसिंह का लड़का काश्त करता [illegible] काश्त मौके पर पिछले 40—45 साल से लगातार चली आ रही है, मौके पर प्रार्थी इन्द्रसिंह [illegible] उसके भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

मदनसिंह का हिस्सा उत्तर, दक्षिण सींव डाल कर अलग किया हुआ है– वादगत कृषि भूमि के रूप में जानते व मानते है।

वादगत कृषि भूमि की खातेदारी चूंकि शीशपालसिंह के नाम दर्ज है इसलिए अप्रार्थी शीशपालसिंह वादगत कृषि भूमि का विक्रय अथवा हस्तान्तरण अन्य व्यक्ति के नाम कर देगाा जिस क्रम में अप्रार्थी शीशपालसिंह द्वारा गलत रूप से वादगत भूमियों का अन्तरण पंजीकृत उपहार पत्र के जरिये अप्रार्थी मदनसिंह के पक्ष मे कर दिया गया है जिसे अप्रार्थी मदनसिंह आगे भी अन्तरित कर सकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी को इस बात के लिए वर्जित करवा लेना आवश्यक हो गया है ।

प्रार्थी ने खातेदारी के अधिकार की घोषणा करवाने हेतु नियमित वाद पेश कर रखा है वाद कृषि भूमि पिछले 40–45 वर्ष से लगातार प्रार्थी के कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग में है इस दौरान वादगत कृषि भूमि को कभी काश्त नहीं किया एसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में साबित होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि उक्त वादगत भूमि का अप्रार्थी विक्रय ना करे तथा प्रार्थी इन्द्रसिंह को वादगत कृषि भूमियों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाकर मदनसिंह को अप्रार्थी संख्या 02 के रूप में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पर विधिवत तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता अमरदीपसिंह उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

आवेदन स्थगन प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 02 में प्रार्थी कोई 1/2 हिस्से का विरासतन हकदार व खातेदार, कब्जा, काश्त नहीं होने से प्रार्थी का दावा आवेदन चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि मोहबसिंह उर्फ मोहबत सिंह की हक अधिकार, कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि कभी नहीं रही है। स्वा. मोहब्बत सिंह द्वारा शीशपालसिंह द्वारा शीशपालसिंह के नाम खरीदा जाना गलत है। वादगत कृषि भूमि मोहबसिंह की नहीं होकर नोलसिंह पुत्र करणीसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही है, समस्त राजस्व रिकॉर्ड, पैमाईश के पूर्व व पश्चात् जमाबंदी गिरदावरिय इंतकाल नोलसिंह की रही है, जिसको विधि अनुसार प्रतिफल देकर शीशपालसिंह पुत्र मोहबसिंह राजपूत ने जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 13.01.1960 क्रय कर ली है व नियमानुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड शीशपालसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 69 पुरानी खसरा नम्बर 41 की खातेदारी दर्ज शुदा है। प्रार्थी इन्द्रसिंह को इस विक्रय पत्र व शीशपालसिंह के नाम दर्ज इंतकाल की जानकरी व ज्ञान शुरू से रहा है। प्रार्थी की ओर से कोई एतराज इस इंतकाल व खातेदारी का कही भी नहीं किया है, 56 साल बाद इस मियाद बाहर प्रकरण में दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र आवेदन पेश किया है, जो [illegible] नहीं है, खारिज योग्य है।

वादगत कृषि [illegible] सिंह की शामिल काश्त नहीं रही, कृषि भूमि नोलसिंह [illegible] से प्रार्थी के परिवार से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी ने कभी भी वादगत भूमि की काश्त नहीं की है बल्कि उक्त कृषि भूमि पूर्व में नोलसिंह व शिशपालसिंह तथा अब जरिये पंजीकृत दस्तावेज बक्शीशनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested

बदिनांक 31.12.2021 अप्रार्थी मदनसिंह की खातेदारी कब्जे, काश्त की भूमि चली आ रही है। नामान्तरण दिनांक 07.02.2022 अप्रार्थी मदनसिंह के हक में दर्ज हो चुका है।

प्रार्थी कभी वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है, ना ही आज है, कोई पुश्तैनी, गिरदावरी आदि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं है। आधारहीन दावा व टी.आई होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के हक में नहीं बनता है, अप्रार्थी के नाम लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी इंतकाल पंजीकृत दस्तावेज होने से सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त अप्रार्थी के हक में है, अगर स्थगन ओदश जरिये अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है तो अपूर्तीय क्षति अप्रार्थी मदनसिंह को होगी, इस कारण टी. आई. ,खारिज योग्य है।

जवाब के पश्चात् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई

बहस में विद्वान अभिभाषक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर निवेदन किया गया कि वादगत कृषि भूमि नोलसिंह से मोहब्बतसिंह के संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा है। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र आदि से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी उस समय नाबालिग था इससे यह साबित होता है कि उक्त वादगत भूमि परिवार की संयुक्त आय से ही मोहब्बतसिंह ने शीशपालसिंह के लिए खरीदी होगी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वादगत भूमि को धारा 145–146 में कब्जे के विवाद को लेकर कुर्क की है इस प्रकार मौका पर कब्जा काश्त होना साबित होता है इस प्रकार उस समय अप्रार्थी संख्या 01 के नाबालिग होने से उक्त वादगत भूमि प्रार्थी अप्रार्थी की संयुक्त भूमि होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष का बनता है अप्रार्थी द्वारा उक्त वादगत भूमि के विक्रय करने की पूरी–पूरी सम्भवना है अतः प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति होने की सम्भावना है तथा मौका स्थिति से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष का बनता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में उच्च न्यायालयों के दृष्टान्त आर.आर.डी. 14.09. 2019 पेज नं. 539, फोटा प्रति लिमिटेशन एक्ट धारा 59 पेज नं. 550 डी.एन.जे. उच्चतम न्यायालय 2023 पेजे नं. 275 इत्यादि दृष्टान्त पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से अपनी बहस में निवेदन किया गया कि 145 सी. आर.पी.सी. राजस्व प्रकरण के सम्बन्ध नहीं रखता वह केवल कब्जा को लेकर विवाद का है। इसका प्राईमरी फैसा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र व दावा मियाद से बाहर पेश किया है प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज प्रार्थी का उक्त भूमि के खातेदार कब्जा–काश्तकार होना साबित नहीं करता है। अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में **2016 DNJ 210 paramjeet vs shiv associate, 2016(3) DNJ 1054, Shreya vidyarthi ashok vidyarthi, AIR 2010 (NOC) 983 (p&H)** न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 शिशपालसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह सा.देह खातेदार अंकित है। नामान्तरण ग्राम पलनावा में शीशपालसिंह का गोद जाना अंकित है। निर्णय तहसीलदार चूरू श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्णयों में दोनों पक्षकारों की ओर [illegible] के रोके जाने का उल्लेख किया गया। शिशपालसिंह की ओर से उक्त भूमि [illegible] को हस्तान्तरित कर दी है। विक्रय पत्र दिनांक 13.01.1960 के अनुसार शीशपालसिंह ने नोलसिंह से उक्त भूमि का क्रय किया है। शीशपालसिंह ने जरिये गिफ्ट डीड [illegible] वादगत भूमि मदनसिंह को हस्तान्तरित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested

दी है जिसका नामान्तरण मदनसिंह के नाम हो चुका है। जमाबंदी सम्वत 2015–18, 2028, 2015–19 में खातेदार शीशपालसिंह अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 में खातेदार नोलसिंह है। विक्रय पत्र दिनांक 13.01.1960 में केता शीशपालसिंह व विकेता नोलसिंह है। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों में कहीं भी इस प्रकार का दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता है कि उक्त वादगत भूमि परिवार की संयुक्त आय से खरीद की गई है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, मौका रिपोर्ट व छाया चित्रों के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 01 के द्वारा नोल सिंह से खरीद की हुई भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 02 को जरिये गिफ्ट डीड हस्तान्तरित की गई है प्रार्थी अप्रार्थीगण के मध्य कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति जरूर बनी हुई जिसके सम्बन्ध में 145 सी.आर.पी. सी. के तहत पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अभी कब्जे का निर्धारण नहीं हुआ है तथा कब्जा सम्बन्धित प्रकरण राजस्व प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी की थी जो अब अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी की है प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों सें कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा कि उक्त वादगत भूमि मोहबसिंह उर्फ मोहब्बत की संयुक्त आय की है या पैतृक सम्पति है तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 02 सहखातेदार है, तब अप्रार्थी संख्या 02 को अपनी खरीद की हुई भूमि पर वर्जित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अभिभाष प्रार्थी ने यह कथन अवश्य किया है कि उक्त वादगत भूमि मोहबसिंह के परिवार की संयुक्त खातेदारी की है है परन्तु उसके प्रमाण स्वरूप कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिससे यह तथ्य साबित होता हो। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जो कि इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा नहीं होते हैं व ना ही ऐसा कोई स्पष्ट तथ्य पत्रावली पर पेश किया गया है ऐसी स्थिति में खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं पत्रावली में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 17.06.22 को निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested